



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-15052025-263118
CG-UP-E-15052025-263118

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2101]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 2025/वैशाख 24, 1947

No. 2101]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 2025/VAISAKHA 24, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (इंजीनियरिंग विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 13 मई, 2025

का.आ. 2150(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवम रेलवे (संशोधन)

अधिनियम (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में विशाख रेल परियोजना, (उत्तर मध्य रेलवे के चुनार-चोपन खण्ड पर स्थित समपार संख्या 19 पर दो लेन रोड ओवर ब्रिज) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् मजिस्ट्रेट, जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी/मजिस्ट्रेट, जिला मिर्जापुर कोई और जांच, आवश्यक समझें, करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य व्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर मध्य रेलवे के चुनार-चोपन के मध्य स्थित लेवल कासिंग संख्या 19 पर 2 लेन रोड ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के लिए मिर्जापुर जिले के मड़िहान तहसील में आने वाली भूमि का अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
1	2	3	4	5	6
1.	मड़िहान	दरबान	कृषि	346	0.3600
			कृषि	347	0.1650
			कृषि	350	0.1500
योग					0.6750
2.	मड़िहान	हिनौता	नाला/कृषि	1	0.0100
			कृषि	3	0.0900
			कृषि	4	0.0900
			कृषि	100	0.0530
			बंजर/कृषि	101	0.0480
			कब्रिस्तान	102	0.0120
योग					0.3030
3.	मड़िहान	ददरा	कृषि	6	0.0150
			कृषि	7	0.0200
			कृषि	8	0.0400
			कृषि	9	0.0300
			कृषि	10	0.0580
			कृषि	13	0.0240

			कृषि	14	0.0480
			कृषि	15	0.0480
			कृषि	16	0.1060
			योग		0.3890
			महायोग		1.3670

[ई-फाईल नंबर : NCR फाईल नंबर NCR -HQOENGG (CORR)/9/2024-O/o Dy.CE/Br./L/ALD

(कंप्यूटर नंबर 115213)]

एस. सी. जैन, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Engineering Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 13th May, 2025

S.O. 2150(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of clause 20A of section 2 of the Railways Act 1989 (24 of 1989) and Railways Amendment act 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule Annexed hereto is required for the purpose of execution of special Railway Project (Construction of 2 lane ROB in lieu of L-Xing No. 19 between Chunar-Chopan in the state of Uttar Pradesh) here by declares its intention to acquire such land ;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, District Magistrate Mirzapur in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the competent Authority i.e. District Magistrate, Mirzapur thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by competent Authority under Clause 20D (3) sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land falling in Madihan Tehsil of Mirzapur District for the construction of two lane ROB in lieu of L-Xing No.19 between Chunar-Chopan Railway station of NCR in the state of Uttar Pradesh, with or without infrastructure.

Sr. No.	Name of Tahsil	Name of Village	Type of Land	Gata No.	Acquired Area (in Hec.)
1	2	3	4	5	6
1	Madihan	Darban	AGR.	346	0.3600
			AGR.	347	0.1650
			AGR.	350	0.1500
			Total		0.6750

2	Madihan	Hinaota	NALA/AGR.	1	0.0100
			AGR.	3	0.0900
			AGR.	4	0.0900
			AGR.	100	0.0530
			Banjar/AGR	101	0.0480
			Kabristan	102	0.0120
			Total		0.3030
3	Madihan	Dadara	AGR.	6	0.0150
			AGR.	7	0.0200
			AGR.	8	0.0400
			AGR.	9	0.0300
			AGR.	10	0.0580
			AGR.	13	0.0240
			AGR.	14	0.0480
			AGR.	15	0.0480
			AGR.	16	0.1060
			AGR.	Total	0.3890
			Grand Total	1.3670	

[e-F. No. NCR File No. NCR -HQ0ENGG (CORR)/9/2024-O/o Dy.CE/Br./L/ALD (Computer No. 115213)]

S.C. JAIN, Principal Chief Engineer